



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092022-239106
CG-DL-W-26092022-239106

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2022, शनिवार/ भाद्र 20—भाद्र 26, 1944
No. 33] NEW DELHI, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2022, SATURDAY/BHADRA 20—BHADRA 26, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (कैमरामैन) भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक उसका संबंध कैमरामैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कैमरामैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कैमरामैन (समूह ग) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कैमरामैन	4* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i). जो सदृश पद धारण किए हुए हैं;

		या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 के पदों में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; (ख) जिनके पास इंटरमीडियट (मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण) के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा और कैमरामैन के रूप में दो वर्षीय अनुभव । वांछनीय ; 1. सिनेमैटोग्राफी में डिप्लोमा । 2. स्टील, वीडियो और मूवी कैमरों के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: ऐसे विभागीय स्टूडियों परिचारक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में न्यूनतम सोलह वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा जिनके पास ब्राह्म व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित अर्हता और अनुभव हों। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है , तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणताया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/36/2021-पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th September, 2022

G.S.R. 126.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Cameraman) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Cameraman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cameraman in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Cameraman (Group C) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the Pay Matrix – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
Cameraman	4* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Non-Ministerial

Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level -5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts, or, (ii) With five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix, (b) Possessing Intermediate (12th Standard pass from the recognized board) with Diploma in Photography from a recognized Institute and two years' experience in Photography. Desirable : 1. Having diploma in Cinematography; 2. Two years experience in handling Still, Video and Movie Cameras. Note1: Departmental Studio Attendant with minimum sixteen years regular service in level-1, in the pay matrix and having the qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post is shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. 23011/36/2021-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में स्टाफ कार चालक ग्रेड-I (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, स्टाफ कार चालक ग्रेड-I (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
स्टॉफ कार चालक ग्रेड-I	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे स्टॉफ कार चालक ग्रेड-II वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में (25500-81100 रु.) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है अथवा जिन्होंने स्टॉफ कार चालक ग्रेड-II तथा स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप निदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक, (माइक्रोबायोलॉजी), केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/15/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th September, 2022

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver Grade I (Group 'C' Post) in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Staff Car Driver Grade I (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

5. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver Grade I	02*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades, from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver Grade –II in the level -4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman 2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 3. Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/15/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक इसका संबंध कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 -81100/ रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति :- पैरा-मेडिकल कार्यकर्ता जो उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्ताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जो,- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अचिकित्सकीय पर्यवेक्षक के सदृश पदों को धारित करता हो; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो,- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास हो; और

(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से स्वास्थ्य परिदर्शक पाठ्यक्रम पास होने का प्रमाणपत्र रखता हो और राज्य परिचर्या परिषद् में स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतय 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
1. उप निदेशक (महामारीविद्) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक (महामारीविद्) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य
3. सहायक निदेशक (सूक्ष्मजीव विज्ञानी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य।

[फा. सं. ए-12018/41/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2022

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Junior Field Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Field Investigator in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Junior Field Investigator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Field Investigator	02* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short term contract).	Promotion. Para Medical Worker in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes,- (a)(i) holding analogous Non-Medical Supervisor posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the post rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience, (i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) Certificate of having passed Health Visitors' course from a recognized institute and must have been registered as a Health Visitor from State Nursing Council. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman 2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 3. Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/41/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1996, की अनुसूची के स्तंभ (12) में, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के अधीन टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. ए-50013/362/2021-जीडब्ल्यू स्था.]

शालिनी गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 21 सितंबर, 1996 को भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397 तारीख 7 अगस्त, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछला संशोधन तारीख 9 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82 के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 8th September, 2022

G.S.R. 129.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996, Ministry of Jal Shakti, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996, in the Schedule, in column (12), under the heading Deputation (including short term contract), for Note 2, the following Notes shall be substituted, namely:-

"Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty eight (58) years as on the last date of receipt of application”.

[F. No. A- 50013/362/2021-GW Estt.]

SHALINI GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st September, 1996, vide notification number G.S.R.397, dated the 7th August, 1996 and lastly amended vide notification number G.S.R.82, dated the 9th May, 2007.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 'समूह डी' पद भर्ती नियम 1979 तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 'समूह डी' पदभर्ती नियम 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहु कार्य कर्मचारिवृंद, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़ा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहांवह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	57* (*2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900 रु.) में स्तर-1	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्त पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) निदेशक (प्रशासन) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण,	लागू नहीं होता।

विद्युत मंत्रालय	- अध्यक्ष	
(2) अवर सचिव (कार्मिक) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय	- सदस्य	
(3) अवर सचिव (सामान्य आपूर्ति) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय	- सदस्य।	

[फा. सं. ए 12018/01/2011-प्रशा.।]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st September, 2022

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electricity Authority (Group D posts) Recruitment Rules, 1979, and the Central Electricity Authority (Group D posts) Recruitment Rules, 1982 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Central Electricity Authority, Ministry of Power, namely :-

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Ministry of Power, Central Electricity Authority, Multi-Tasking Staff, (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix – The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living;
- or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi - Tasking Staff.	57* (*2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determination of the age-limit shall be the last date on which the employment exchange is asked to submit the names.	10 th class pass from a recognised Board	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	100 per cent. by direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.
(1) Director (Administration), Central Electricity Authority, Ministry of Power - Chairman	
(2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority, Ministry of Power - Member	
(3) Under Secretary, (General Supply), Central Electricity Authority, Ministry of Power - Member.	

[F. No. A. 12018/01/2011-Admn-I]

SANJAY KUMAR, Under Secy.